रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 529] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27, 2008/आश्विन 5, 1930
No. 529] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 2008/ASVINA 5, 1930

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2008

सा.का.नि. 692(अ).— केन्द्र सरकार, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आगे और नियम बनाती है, अर्थात्:

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2008 है ।

   (2) अन्यथा उपबंधित किसी बात को छोड़कर, ये 1 जनवरी, 2006 को लागू हुए समझे जाएंगे सिवाय अनुसूची ।।-ग और 'घ' में विहित केन्द्रीय (कार्यावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ते के प्रावधानों को छोड़कर जो कि 1 सितम्बर, 2008 से लागू होंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम-2 में (जिसे यहां उपर्युक्त नियमावली के रूप में संदर्भित किया गया है) –

   (i) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

   '(क क) संशोधित वेतन ढांचे में "मूल वेतन" से अभिप्राय है निर्धारित पेय बैंड में आहरित वेतन और लागू ग्रेड-पे लेकिन इसमें विशेष वेतन इत्यादि जैसा कोई और वेतन शामिल नहीं है ।

(एच.ए.जी.+और शीर्षस्थ वेतनमान के वेतनमान में सेवा के सदस्य के मामलों में मूल वेतन से अभिप्राय है, निर्धारित वेतनमान का वेतन;

(ii) खण्ड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(ड.) "ग्रेड-पे" पूर्व-संशोधित वेतनमान अथवा पदों के तदनुरूपी नियत राशि है;

(iii) खण्ड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(ञ क) "पे-बैंड में वेतन" से अभिप्राय है नियम 3 के उप-नियम-1 में विनिर्दिष्ट रनिंग पे-बैंडों में आहरित वेतन;

(iv) खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

'(ड क) "संशोधित परिलब्धियों" से अभिप्राय है पे-बैंड में वेतन और संशोधित वेतन ढांचे में सेवा के सदस्य की ग्रेड-पे अथवा शीर्षस्थ वेतनमान और मंत्रिमण्डल सचिव के वेतनमान में मूल वेतन;

'(ड ख) अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट किसी पद के सम्बन्ध में "संशोधित वेतन ढांचे" से अभिप्राय कॉलम-5 और 6 में विनिर्दिष्ट उस पद अथवा वेतनमान पर विनिर्दिष्ट पे-बैंड अथवा ग्रेड-पे से है जब तक कि उस पद के लिए एक अलग संशोधित पे-बैंड और ग्रेड-पे अथवा वेतनमान अलग से अधिसूचित नहीं कर दिया जाता;

3. उपर्युक्त नियमावली के नियम-3 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) पे-बैंड और ग्रेड-पे – सेवा के सदस्य को अनुज्ञेय पे-बैंड और ग्रेड-पे और वे तारीख जिनसे पे-बैंड और ग्रेड-पे लागू हुए समझे जाएंगे, निम्नानुसार होंगे:-

(क) **कनिष्ठ वेतनमान –**

पे-बैंड – 3: 15600-39100 रुपये और ग्रेड-पे 5400 रुपये ।

(ख) वरिष्ठ वेतनमान -

(i) **वरिष्ठ समय वेतनमान** – पे-बैंड – 3: 15600-39100 रुपये और ग्रेड-पे 6600 रुपये

(ii) **कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड** - पे-बैंड – 3: 15600-39100 रुपये और 7600 रुपये ग्रेड-पे ।

(iii) **चयन ग्रेड**:- पे-बैंड – 4: 37400-67000 रुपये और ग्रेड-पे 8700 रुपये ग्रेड-पे ।

(ग) अधिसमय वेतनमान :-

(i) पुलिस उप-महानिरीक्षक
पे-बैंड – 4: 37400-67000 रुपये और ग्रेड-पे 8900 रुपये ।

(ii) पुलिस महानिरीक्षक
पे-बैंड–4: 37400-67000 रुपये और ग्रेड-पे 10000 रुपये ।

(घ) अधिसमय वेतनमान से ऊपर के वेतनमान :-

(i) पुलिस अपर महानिदेशक -
पे-बैंड – 4: 37400-67000 रुपये और ग्रेड-पे 12000 रुपये ।

(ii) एच.ए.जी.+: 75500 रुपये (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से) – 80000 रुपये; ग्रेड-पे: शून्य

(iii) शीर्षस्थ वेतनमान: 80000 रुपये (नियत) और ग्रेड-पे: शून्य
पुलिस महानिदेशक के मौजूदा एक पद का प्रत्येक राज्य संवर्ग में पुलिस बल के प्रमुख के रूप में उन्नयन ।
(भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2008 की अधिसूचना के जारी होने की तिथि से लागू)

टिप्पणी 1. – समय वेतनमान और इससे ऊपर के पदों पर सेवा के सदस्य की नियुक्ति, भारतीय पुलिस सेवा में विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नति के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांतों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार विनियमित की जाएगी :

बशर्ते कि सेवा का कोई सदस्य भारतीय पुलिस सेवा(भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम-6क के उप-नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन अपनी सेवा के 4 वर्ष पूरी करने के पश्चात् वरिष्ठ समय वेतनमान में, 9 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में, 13 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् चयन ग्रेड में,14 वर्ष की सेवा पूरी

करने के पश्चात् पुलिस उप महानिरीक्षक अधिसमय वेतनमान में तथा 18 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् महानिरीक्षक अधिसमय वेतनमान में नियुक्त किए जाने का पात्र हो जाएगा ।

बशर्ते आगे यह भी कि सेवा का कोई सदस्य विनिर्दिष्ट अनिवार्य मध्य कॅरिअर प्रशिक्षण चरण-III पूरा करने के पश्चात् ही कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्त किया जाएगा ।

टिप्पणी 2. **शीर्षस्थ वेतनमान में पुलिस महानिदेशक का पद 75500 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से) – 80000 रुपये के एच.ए.जी.+वेतनमान – राज्य संवर्ग के पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा भरा जाएगा ।**

टिप्पणी 3. जब कभी राज्य अथवा संयुक्त संवर्ग का भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी पे-बैंड-3 में अथवा पे-बैंड-4 की विशिष्ट ग्रेड-पे के ग्रेड में केन्द्र में तैनात किया जाता है तो सेवा के सदस्य, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारियों से 2 वर्ष या इससे अधिक वरिष्ठ हों और अभी तक उस ग्रेड विशेष में पदोन्नत नहीं किए गये हों, वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के उस अधिकारी की उस ग्रेड विशेष में तैनाती की तिथि से गैर-कार्यात्मक आधार पर उसी ग्रेड में नियुक्त किए जाएंगे ।

टिप्पणी 4. इस नियम में सेवा के 4 वर्ष, 9 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्षों की गणना, भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियमावली, 1954 के नियम-3 के अंतर्गत इसे आबंटित, आबंटन वर्ष से की जाएगी ।

टिप्पणी 5. चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार के अलावा ली गई किसी असाधारण छुट्टी अथवा सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा सुविचारित, सेवा के सदस्य के नियंत्रण से परे किसी कारण के लिए ली गई छुट्टी अथवा अध्ययन के लिए ली गई छुट्टी जो कि लोकहित में हो और जिसके लिए अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) विनियमावली, 1960 के अंतर्गत अध्ययन छुट्टी अन्यथा अनुज्ञेय हो, की अवधि को इन ग्रेडों में नियुक्ति के लिए अपेक्षित सेवा की पात्रता अवधि की गणना करने के आशय से शामिल नहीं किया जाएगा ।

बशर्ते यह कि सेवा का कोई सदस्य उस तारीख तक मौजूदा वेतनमान में वेतन आहरित करते रहने का विकल्प दे सकता है जिस तारीख को वह मौजूदा वेतनमान में

अपनी अगली या कोई तदनुरूपी वेतनवृद्धि पाता है अथवा जब तक वह अपना पद छोड़ देता है अथवा जब तक वह उस वेतनमान में वेतन आहरित करना बंद कर देता है:

बशर्ते यह कि ऐसे मामलों में जहां सेवा के सदस्य को 1 जनवरी, 2006 और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बीच में पदोन्नति अथवा वेतनमान के अपग्रेडेशन के कारण उच्चतर वेतनमान में रखा गया है, सेवा के सदस्य ऐसी पदोन्नति अथवा अपग्रेडेशन, जैसा भी मामला हो, की तारीख से संशोधित वेतन ढांचे का विकल्प दे सकते हैं ।

स्पष्टीकरण 1- इन नियम के परन्तुक के अन्तर्गत मौजूदा वेतनमान बहाल रखने का विकल्प केवल एक मौजूदा वेतनमान के मामले में देय होगा ।

स्पष्टीकरण 2- उपर्युक्त विकल्प 1 जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद किसी पद पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगा और उसे केवल संशोधित वेतन ढांचे में ही वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी ।

स्पष्टीकरण 3- जहां सेवा का कोई सदस्य उस वेतनमान में वेतन नियमन के प्रयोजन के लिए नियमित आधार पर स्थानापन्न क्षमता पर धारित अपने किसी पद के संबंध में इस नियम के अन्तर्गत मौजूदा वेतनमान को बहाल रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका वास्तविक वेतन वह मूलभूत वेतन होगा जो मौजूदा वेतनमान के संबंध में धारित पद, जिस पर उसका पुनर्ग्रहणाधिकार रहता या निलंबन न किए जाने तक उसका पुनर्ग्रहणाधिकार बना रहता या स्थानापन्न पद का वह वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा जो कि लागू होने के समय किसी भी आदेश के अनुरूप वास्तविक वेतन की खासियत लिए हुए वह अर्जित करता ।

4. नियम-4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएंगा अर्थात्:

'4. संशाधित वेतन ढांचे में वेतन का निर्धारण - सेवा का कोई सदस्य जो इन नियमों के अनुसार, 1 जनवरी, 2006 को अथवा बाद की किसी तारीख को संशोधित वेतन ढांचे के अनुसार विकल्प देता है अथवा विकल्प दिया हुआ समझा जाता है तो उसके आरंभिक वेतन का, उसके उस स्थायी पद, जिस पर उसका पुनर्ग्रहणाधिकार रहता है और वह पद जिस पर उसका पुनर्ग्रहणाधिकार रहता यदि वह निलंबित न हो गया होता, के वास्तविक वेतन के अनुसार उस

तारीख से अलग से पुन: निर्धारित किया जाएगा और उसके द्वारा धारित पद स्थानापन्न वेतन के संबंध में निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा अर्थात् :-

(क) सेवा के सभी सदस्यों के मामलों में:-

(i) वेतन बैंड अथवा वेतनमान में वेतन का निर्धारण 1 जनवरी, 2006 को यथाविद्यमान मौजूदा मूल वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा करके तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या को 10 के अगले गुणज में पूर्णांकित करके किया जाएगा ।

(ii) यदि संशोधित वेतन बैंड अथवा वेतनमान का न्यूनतम उपर्युक्त (i) के अनुसार प्राप्त राशि से ज्यादा है तो वेतन संशोधित वेतन बैंड अथवा वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा ।

बशर्ते कि

(क) वेतन निर्धारण में जहां कहीं सेवा के किसी सदस्य का वेतन जो मौजूदा वेतनमान में दो या अधिक संयोजी अवस्थाओं पर आहरित वेतन समूहबद्ध हो जाता है अर्थात् अन्यथा कहीं तो इसी अवस्था पर संशोधित वेतन ढांचे में वेतन बैंड में निर्धारित हो जाता है तो इस प्रकार से समूहबद्ध ऐसी प्रत्येक दो अवस्थाओं के लिए उन्हें एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा जिससे कि संशोधित रनिंग वेतन बैंडों में दो अवस्थाओं से अधिक बंचिंग से बचा जा सके । इस प्रयोजन के लिए वेतन वृद्धि वेतन बैंड में वेतन पर परिकलित की जाएगी और बंचिंग को कम करने के लिए वेतनवृद्धियां देते समय वेतन बैंड को ध्यान में नहीं रखा जाएगा ।

(ख) उपर्युक्त ढंग से वेतन वर्धन से यदि किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन संशोधित वेतन बैंड अथवा वेतनमान (जहां-कहीं लागू हो) की उस अवस्था पर

निर्धारित हो जाता है जो कि अगली उच्च अवस्था अथवा अवस्थाओं वाले संशोधित वेतन बैंड वाले कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में बाद वाले कर्मचारी का वेतन उस सीमा तक बढ़ाया जाएगा जब तक कि वह पिछले कर्मचारी के वेतन की तुलना में कम हो;

(iii) वेतन बैंड में वेतन उपर्युक्त तरीके से निर्धारित होगा और वेतन बैंड में वेतन के अलावा मौजूदा वेतनमान के अनुरूप ग्रेड वेतन भी देय होगा ।

(ख) सेवा के उस सदस्य, जो भारत के बाहर 1 जनवरी, 2006 को प्रतिनियुक्ति अथवा छुट्टी अथवा विदेश सेवा पर था अथवा जो उच्चतर पद पर कार्य करने के अलावा एक या अधिक निम्नतर पदों पर उस तारीख को कार्य कर रहा होता, के मामले में "विद्यमान वेतनमान" में, उस पद जिस पर वह उच्चतर पद पर कार्य करने के अलावा भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति अथवा छुट्टी अथवा विदेश सेवा अथवा, जैसा भी मामला हो, के लिए लागू वेतनमान शामिल है ।

(ग) सेवा के उन सदस्यों के मामले में जो कि मौजूदा वेतनमान में वेतन के अलावा विशेष वेतन अथवा भत्ता ले रहे हैं तथा जिनके लिए स्थानापन्न तौर पर किसी विशेष वेतन अथवा भत्तों के बिना ही कोई वेतन बैंड और ग्रेड वेतन दिया गया है, ऐसे सदस्यों का वेतन संशोधित वेतन ढांचे में उपर्युक्त उप खण्ड (क) में निहित प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा ।

(घ) सेवा के उन सदस्यों के मामले में जो कि वर्तमान वेतनमानों में मिल रहे वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य नाम से विशेष वेतन घटक प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि छोटे परिवार के मानकों को प्रोत्साहन देने के लिए व्यक्तिगत वेतन, केन्द्रीय (कार्यकाल पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता, आदि तथा जिनके मामले में इनके स्थान पर सादृश्य भत्ता अथवा वेतन के साथ संशोधित वेतन ढांचा लागू कर लिया गया है, के मामले में संशोधित वेतनमान उपर्युक्त धारा (क) के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित होंगे और ऐसे मामलों में संस्तुत नई दरों पर भत्ते, इन

भत्तों से संबंधित वैयक्तिक अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त मिलेंगे ।

टिप्पणी 1- निलंबनाधीन सेवा का सदस्य वेतन के विद्यमान वेतनमान पर आधारित निर्वाह भत्ता लेता रहेगा और संशोधित वेतन ढांचे में उसका वेतन लंबित अनुशासनिक कार्यवाहियों पर अन्तिम आदेश के अध्यधीन होगा ।

टिप्पणी 2- सेवा के किसी सदस्य की ''मौजूदा परिलब्धियां'' संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाती है तो उस अन्तर को वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी ।

स्पष्टीकरण- इस टिप्पणी के उद्देश्य के लिए, ''मौजूदा परिलब्धियों'' से अभिप्राय (i) मौजूदा मूल वेतन (ii) मूल वेतन पर उपयुक्त मंहगाई वेतन और (iii) मूल वेतन पर मंहगाई भत्ता + औसत सूचकांक 536(1982=100) पर मंहगाई वेतन की कुल जमा राशि ।

टिप्पणी 3- जहां उप नियम (1) के अधीन वेतन निर्धारण में सेवा का कोई सदस्य जो मौजूदा वेतनमान में 1 जनवरी, 2006 के तुरंत पहले समान कैडर के किसी कनिष्ठ कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और संशोधित वेतन बैंड में उसका वेतन एक ऐसी अवस्था पर निर्धारित हो जाता है जो कि उसके कनिष्ठ से कम हो तब ऐसी स्थिति में उसका वेतन संशोधित वेतन बैंड में उसी अवस्था में बढ़ा दिया जाएगा जिस अवस्था पर वह कनिष्ठ कर्मचारी हो ।

टिप्पणी 4- जहां सेवा का कोई सदस्य 1 जनवरी, 2006 को व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा हो और जो खण्ड (क) अथवा (ख) के अनुसार उसकी मौजूदा परिलब्धियों से जुड़ने पर संशोधित परिलिब्धियों से अधिक हो जाता है, तो उस अंतर को वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों के रूप में सेवा के किसी सदस्य के व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी ।

टिप्पणी 5- उस सेवा के सदस्य के मामले में जो 1 जनवरी, 2006 के पूर्व ''हिन्दी शिक्षण योजना'' के अन्तर्गत हिन्दी प्राज्ञ और ऐसी अन्य

परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा है, उनका यह व्यक्तिगत वेतन, संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन के निर्धारण के लिए शामिल नहीं किया जाएगा, वे 1 जनवरी, 2006 से या उससे आगे की अवधि के लिए संशोधित वेतन ढांचे में उस व्यक्तिगत वेतन को प्राप्त करते रहेंगे जो कि वे संशोधित वेतन ढांचे का निर्धारण न होने की दशा में प्राप्त करते । ऐसा व्यक्तिगत वेतन, निर्धारण की तिथि से संशोधित वेतन ढांचे में वेतन वृद्धि की उचित दर से उस अवधि तक के लिए दिया जाएगा जिस अवधि तक अधिकारी उसे प्राप्त करना जारी रखता ।

स्पष्टीकरण : इस टिप्पणी के प्रयोजन के लिए "संशोधित वेतन ढांचे में वेतनवृद्धि की उपयुक्त दर" का तात्पर्य वेतन बैंड में वेतन के कुल के 3 प्रतिशत के बराबर धनराशि तथा उस स्तर पर ग्रेड वेतन है जिस पर कर्मचारी का वेतन, संशोधित वेतन ढांचे में नियत किया गया है ।

टिप्पणी 6 - जहां दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया गया सेवा का कोई ज्येष्ठ सदस्य अपने कनिष्ठ सदस्य से पुनरीक्षित वेतनमान में कम वेतन प्राप्त करता है, जो 01 जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात उच्चतर पद पर पदोन्नत किया गया है वहां सेवा के ज्येष्ठ सदस्य के वेतन बैंड में वेतन को उस उच्चतर पद में उसके कनिष्ठ सदस्य के वेतन बैंड में नियत किए गए वेतन के बराबर राशि तक बढ़ाया जाएगा और वेतन के बढ़ाए (स्टेप-अप) जाने को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन सेवा के कनिष्ठ सदस्य की पदोन्नति की तारीख से प्रभावी किया जाएगा अर्थात् :-

(क) सेवा के कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों सदस्य उसी काडर के होंगे और वह पद जिन पर उन्हें पदोन्नत किया गया है उसी काडर में सदृश होंगे;

(ख) निम्नतर और उच्चतर पदों के पूर्व संशोधित वेतनमान और संशोधित ग्रेड वेतन जिसमें वे वेतन पाने के हकदार हैं, एक-समान होंगे;

(ग) पदोन्नति के समय सेवा का ज्येष्ठ सदस्य कनिष्ठ के बराबर या अधिक वेतन पा रहा हो और;

(घ) विषमता, इस टिप्पणी के उपबंधों के लागू करने के परिणामस्वरूप प्रत्यक्षत: होगी ।

(ङ.) यहां तक कि यदि निम्नतर पद में कनिष्ठ अधिकारी उसको अनुदत्त किन्हीं अग्रिम वेतनवृद्धियों के कारण ज्येष्ठ व्यक्ति से पूर्व संशोधित वेतनमान में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था, तो इस टिप्पणी के प्रावधानों को सेवा के ज्येष्ठ सदस्य के वेतन को बढ़ाने के लिए विखंडित किए जाने की आवश्यकता है ।

टिप्पणी 7:- उपरोक्त उपबंधों के अनुसरण में सेवा के ज्येष्ठ सदस्य के वेतन में पुन: नियतन से संबंधित आदेश सुसंगत नियमों के अधीन जारी किया जाएगा और सेवा का ज्येष्ठ सदस्य वेतन के पुन: नियतन की तारीख से उसके द्वारा अपेक्षित सेवा पूरी करने पर अगली वेतनवृद्धि का हकदार होगा ।

(ङ.) दिनांक 01 जनवरी, 2006 के बाद संशोधित वेतनमान में वेतन का निर्धारण- जहां सेवा का कोई सदस्य मौजूदा वेतनमान में वेतन आहरित करना जारी रखता है और 01 जनवरी, 2006 के बाद किसी तारीख से संशोधित वेतन ढांचे का विकल्प देता है तो संशोधित वेतन ढांचे में उसका वेतन, बाद वाली तारीख से इन्हीं नियमों के तहत निर्धारित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए मौजूदा वेतनमान में उसका वेतन खंड (क), (ग) अथवा (घ) जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार यथा परिकलित मौजूदा परिलब्धियों के मामले के बराबर होगा, परन्तु इस शर्त के अध्यधीन कि बाद वाली तारीख में मूल वेतन और जहां सेवा का सदस्य सेवा विशेष भत्ता प्राप्त कर रहा है, उसका वेतन इस प्रकार परिकलित परिलब्धियों के उपयुक्त संशोधित दरों पर विशेष भत्ते के समान धनराशि की उन परिलब्धियों में से घटाकर नियत किया जाएगा ।'

5. उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 में :-

(क) उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"सीधी भर्ती के अधिकारी का प्रारंभिक वेतन, 5400 रूपए के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा;

बशर्ते कि यदि सीधी भर्ती का कोई अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उस पर लागू नियमों के तहत लियन रखता है, अथवा लियन रखता यदि उसका लियन स्थायी आधार पर निलंबित न कर दिया गया होता, उसका आरंम्भिक वेतन निम्नलिखित तरीके से विनियमित किया जाएगा अर्थात:-

(क) वह, परिवीक्षा की अवधि के दौरान स्थायी पद का वेतन आहरित करेगा, यदि यह कनिष्ठ वेतनमान और भारतीय पुलिस सेवा में स्थायीकरण होने पर उसके वेतनमान के न्यूनतम से अधिक है;

(ख) यदि वह भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति से पूर्व किसी समूह 'क' के पद को धारण किए हुए था, उसका वेतन, उस स्तर पर निर्धारित किया जाएगा जैसा कि वेतन बैंड-3 जमा ग्रेड वेतन 5400 में समूह 'क' के लिए किया जाएगा; और

(ग) यदि वह समूह 'क' से किसी निम्नतर पद को धारण किए हुए था तो उसका वेतन, वेतन बैंड-3 में निम्नतर पद में वेतन के 3 प्रतिशत के बराबर एक वेतनवृद्धि देकर और ऐसे निम्नतर पद के लिए अनुज्ञेय ग्रेड वेतन देकर संगणित तथा 10 के अगले गुणज तक पूरा करके नियत किया जाएगा। तथापि, यदि यह वेतन, वेतनवृद्धि जोड़कर वेतन बैंड-3 के न्यूनतम वेतन से कम है तो उसका वेतन, वेतन बैंड-3 के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा;

(घ) तथापि, कनिष्ठ वेतनमान में वह कोई वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं करेगा, जब तक कि अपनी सेवा अवधि के हिसाब से वह किसी उच्चतर वेतन के लिए पात्र नहीं बन जाता ।

परन्तु यह और कि वह नियम 9 के तहत अनुज्ञेय वेतन आहरित करेगा, यदि वह पूर्ववर्ती परन्तुक में उल्लिखित वेतन से अधिक है।"

(ख) उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2) वरिष्ठ समय वेतनमान के पद पर पदोन्नत होने पर कनिष्ठ वेतनमान के सेवा के सदस्य का वेतन संशोधित वेतन ढ़ाचे में निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा :

वेतन बैंड और मौजूदा ग्रेड-पे के कुल वेतन के 3 प्रतिशत के बराबर एक वेतनवृद्धि तथा 10 के अगले गुणज तक पूरा किया जाएगा। इसे वेतन बैंड के शुरू के मौजूदा वेतन में जोड़ दिया जाएगा। इसके पश्चात् वेतन बैंड में इस वेतन के अतिरिक्त पदोन्नति पद की तदनुरूपी ग्रेड-पे दी जाएगी।"

(ग) उप नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(4) कनिष्ठ पुलिस ग्रेड में नियुक्ति होने पर वरिष्ठ समय वेतनमान में सेवा के सदस्य का वेतन बैंड-3 में उसी प्रकार निर्धारित किया जाएगा जैसे कि उप-नियम (2) में उपबंधित अनुसार वेतन बैंड-3 के मौजूदा वेतन में 7600 रुपये का ग्रेड वेतन जोड़कर किया जाता है

(घ) उप नियम (5) के लिए निम्नलिखित उप-नियम को पदस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(5) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के सेवा के सदस्य की चयन ग्रेड में पदोन्नति होने पर उसका वेतन पे-बैंड-4 में और यदि कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में सेवा के सदस्य द्वारा आहरित वेतन पे-बैंड 3 में पे-बैंड 4 के न्यूनतम से कम है तो इसे पे-बैंड 4 के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा तथा उन्हें चयन ग्रेड में 8700 रुपये का ग्रेड-पे दिया जाएगा";

(ड.) उप नियम (6) के लिए निम्नलिखित उप नियम पदस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(6) सेवा के सदस्य की प्रथम अधिसमय वेतनमान में नियुक्ति होने पर चयन ग्रेड में, द्वितीय अधिसमय वेतनमान में नियुक्ति होने पर प्रथम अधिसमय वेतनमान में अथवा अधिसमय वेतनमान से ऊपर के प्रथम वेतनमान में नियुक्ति होने पर द्वितीय अधिसमय वेतनमान में अथवा

एच.ए.जी.+में पदोन्नति होने पर अधिसमय वेतनमान से ऊपर के प्रथम वेतनमान में वेतन का निर्धारण, उप-नियम (2) में दिए तरीके से किया जाएगा और पे-बैंड में इस वेतन के अतिरिक्त द्वितीय अधिसमय वेतनमान अथवा अधिसमय वेतनमान से ऊपर का प्रथम वेतनमान, जैसा भी मामला हो, के अनुसार तदनुरूपी ग्रेड वेतन दिया जाएगा ।

(च) उप-नियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"(6क) अधिसमय वेतनमान से ऊपर के द्वितीय वेतनमान अर्थात् एच.ए.जी.+वेतनमान में नियुक्ति होने पर अधिसमय वेतनमान से ऊपर के प्रथम वेतनमान में सेवा के सदस्य का वेतन निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा, अर्थात् :-

उप-नियम 2 में निर्धारित तरीके के अनुसार एक वेतनवृद्धि जोड़कर पे-बैंड के वेतन में मौजूदा ग्रेड-पे जोड़ दी जाएगी और परिणामी राशि एच.ए.जी.+ में मूल वेतन बन जाएगी । वह इस वेतनमान के अधिकतम अर्थात् 80000 रुपये से अधिक नहीं हो ।

(छ) उप नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"सेवा में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नत होने पर सेवा के सदस्य के पास विकल्प होगा कि वह अपना वेतन, उच्चतर पद के पे-बैंड में या तो अपनी पदोन्नति की तारीख से या उस वर्ष की पहली जुलाई से निर्धारित करा सके, जब वह उपर्युक्त संगत उप-नियम में किए गए प्रावधान के अनुसार निचले ग्रेड में तद्रनुरूप बाद की वेतनवृद्धि अर्जित करता है । बाद वाले मामले में, पदोन्नति की तिथि को पे-बैंड में वेतन, निचले पद के समान ही निर्धारित किया जाएगा परन्तु ग्रेड-पे उच्चतर पद की ही होगी तथा इसका पुनर्निर्धारण संबंधित उप-नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुसार एक जुलाई, जो निचले वेतनमान में वास्तविक वेतनवृद्धि की तिथि है, से किया जाएगा ।"

6. उक्त नियमावली के नियम-6 में -

(i) उप नियम(1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(1)(क) इन नियमों के नियम 6 या नियम 7 के अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के अध्यधीन भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली 1954 के नियम 7 या नियम 7क के अंतर्गत नियुक्त सेवा के सदस्य को अनुज्ञेय वेतनवृद्धि प्रत्येक वर्ष की पहली जुलाई को एक-समान रूप से दी जाएगी ।

(ख) संशोधित वेतन ढांचे में एक जुलाई को 6 माह या इससे अधिक पूरा करने वाले अधिकारी 1 जुलाई की स्थिति के अनुसार, वेतनवृद्धि पाने के पात्र होंगे ।

(ग) संशोधित वेतन ढांचे में 1 जनवरी, 2006 को वेतन निर्धारण के पश्चात् पहली वेतनवृद्धि दिनांक 1 जुलाई, 2006 को, सेवा के उन सदस्यों को दी जाएगी जिनकी वेतनवृद्धि की अगली तिथि 1 जुलाई, 2006 से 1 जनवरी, 2007 के बीच थी ।

(घ) सेवा के सभी सदस्य जिन्होंने अपनी अन्तिम वेतनवृद्धि 1 जनवरी, 2005 तथा 1 जनवरी, 2006 के बीच अर्जित की थी, वे अपनी वेतनवृद्धि 1 जुलाई, 2006 को अर्जित करेंगे ।

बशर्ते कि उन व्यक्तियों के मामलो में, जो 01 जनवरी, 2006 की स्थिति के अनुसार एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए मौजूदा वेतनमान के अधिकतम पर थे, उन्हें संशोधित वेतन ढांचा में अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी, 2006 से दी जाएगी, उसके बाद यह नियम लागू होगा :

बशर्ते यह भी कि यदि सेवा का सदस्य जहाँ अपने वेतन बैंड के अधिकतम पर पहुँच जाता है, वह उस अधिकतम पर पहुँचने के एक वर्ष बाद अगले उच्चतर वेतन बैंड में आ जाएगा । उसे उच्चतर वेतन बैंड में रखे जाने के समय, उसे एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा, उसके बाद उसके उस वेतन बैंड-4 के अधिकतम पर पहुँचने तक वह उच्चतर वेतनबैंड में चलता रहेगा, जिसके बाद उसे कोई अगली वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी" ;

(ii) उप-नियम (2) और (3) का लोप कर दिया जाएगा ;

(iii) "वेतनमान" और "वेतन ग्रेड" शब्दों के लिए उप-नियम (6) में "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन" शब्द प्रतिस्थापित होंगे ;

7. उपर्युक्त नियमों के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात् :-

"7 संशोधित वेतन ढांचा में वेतनवृद्धि की दर -

(1) संशोधित वेतन ढांचा में वेतनवृद्धि की दर, लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में वेतन की राशि के 3% के बराबर होगी, जो 10 की गुणा पर पूर्ण होगी तथा उस वेतनवृद्धि राशि को वेतन बैंड में मौजूदा वेतन में जोड़ा जाएगा ।

(2) वेतन बैंड-3 के मामले में, 3% और 4% पर वेतनवृद्धि की अलग-अलग दरें दी जाएं ।

(3) वेतनवृद्धि की उच्चतर दर, वेतन बैंड-3 में अधिकारियों की पद संख्या के 20% से अधिक को नहीं दी जाएगी ।"

8. उपर्युक्त नियमों के नियम 9 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित होंगे :-

"(9) - भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 13 में विहित किसी भी बात के बावजूद राज्य सरकार सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त उम्मीदवार द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षा अथवा सेवा की अवधि की अनदेखी करते हुए परीक्षाएं, जिनके पश्चात् वह पे-बैंड में निर्धारित दर पर वेतन आहरित करने का हकदार हो जाएगा, परीक्षा पास करने के पश्चात् वेतनवृद्धि की निर्धारित तिथि से उसे देय दूसरी ओर तीसरी वेतनवृद्धि स्वीकृत करेगी ।

बशर्ते कि इस नियम के अंतर्गत तीसरी वेतनवृद्धि, निर्धारित विभागीय परीक्षा, या अंतिम निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करन के बाद परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने और स्थायीकरण पर जैसी भी स्थिति हो, वेतनवृद्धि की निर्धारित तारीख से पूर्व-प्रभावी दी जाएगी :

बशर्ते कि यह भी कि सीधे भर्ती किए गए कोई व्यक्ति, जिसे पूरी विभागीय परीक्षा या परीक्षाओं या विभागीय परीक्षा या परीक्षाओं का किसी भाग में, जैसी भी

स्थिति हो, इस कारण से उपस्थित होने से छूट दी गई है, कि उसने, सेवा का सदस्य होने से पूर्व, ऐसी परीक्षा या परीक्षाओं या उनके किसी भाग को पहले ही उत्तीर्ण कर लिया है, को, इस नियम के प्रयोजनार्थ, उस पूर्व परीक्षा या परीक्षाओं या उनके भाग, जिनमें वह उपस्थित होता, की तारीख के बाद विभागीय परीक्षा या परीक्षाओं या उनके भाग, जैसी भी स्थिति हो, को उत्तीर्ण किया गया माना जाएगा, लेकिन छूट के लिए, सेवा का सदस्य होने के बाद" ।

9. उपर्युक्त नियमों के नियम 11 में, उप-नियम (7) में, "24050-650-26000 रुपए" अक्षरों और अंकों के स्थान पर "75500 रुपये (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से) – 80000 रुपये" अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित होंगे ।

10. उपर्युक्त नियमों की अनुसूची-I में,

(क) "01 जनवरी, 1996" अंक, अक्षर और शब्द जहाँ-कहीं ये आते हैं के स्थान पर "01 जनवरी, 2006" अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित होंगे ;

(ख) पैरा (1) के लिए, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"(1) नियम 3 के उप-नियम (1) में प्रथम उपबंध तथा उसके अंतर्गत टिप्पणियों में किसी बात के होते हुए, पदोन्नत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, का आरंभिक वेतन, निम्नलिखित तरीके से अधिकारी की पात्रता के अनुसार वरिष्ठ वेतनमान के तीन घटकों के लिए अनुज्ञेय एक ग्रेड वेतन के अतिरिक्त राज्य सेवा में वेतन बैंड-3 या वेतन बैंड-4 में अधिकारी द्वारा आहरित वेतन पर नियत किया जाएगा, अर्थात् :-

<u>वेतन बैंड में वेतन</u>	ग्रेड- पे
वेतन बैंड-3 में 28280 रूपए तक के वेतन में अधिकारी	6600/-
वेतन बैंड-3 में 28281 रूपए से 30690 रूपए के मध्य वेतन में अधिकारी	7600/-
वेतन बैंड-3 अथवा वेतन बैंड-4 में 30691 रूपए अथवा उससे ऊपर के वेतन में अधिकारी	8700/-

यदि राज्य सेवा में अधिकारी का वेतन 1 जनवरी, 2006 से नए वेतन ढांचे के अनुसार संशोधित नहीं किया गया है, इसे नियम 4 में समाविष्ट प्रावधानों के आधार पर संशोधित किया जाएगा ।

11. उक्त नियमों की अनुसूची-II के, निम्नलिखित राज्यों में 75500/- (वार्षिकवेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से) – 80,000/- रुपये के एच.ए.जी.+वेतनमान में पुलिस महानिदेशक 80,000 (नियत) के शीर्ष वेतनमान में रखा जाएगा और राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में पुलिस बल के प्रमुख के रूप में निम्नानुसार पदनामित किया जाएगा, अर्थात् :-

राज्य	पदनाम	शीर्ष वेतनमान
(1)	(2)	(3)
आंध्र प्रदेश	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
आसाम	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
मेघालय	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
बिहार	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
छत्तीसगढ़	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
गुजरात	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
हरियाणा	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
हिमाचल प्रदेश	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
जम्मू और कश्मीर	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
झारखण्ड	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
कर्नाटक	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
केरल	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
मध्य प्रदेश	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
महाराष्ट्र	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
मणिपुर	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
त्रिपुरा	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
नागालैण्ड	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)

पंजाब	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
उड़ीसा	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
राजस्थान	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
तमिलनाडु	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
उत्तरांचल	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
उत्तर प्रदेश	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
पश्चिम बंगाल	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)

12. उक्त नियमों की अनुसूची-II-क और II-ग में,

(क) "वेतन अथवा वेतनमान" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"वेतन अथवा वेतनमान अथवा वेतन बैंड+ग्रेड वेतन"

(ख) "26000 रुपये", "24050-650-26000 रुपये", "22400-525-24500 रुपये", "18400-500-22400 रुपये", "16400-450-20000 रुपये" अक्षर, अंक और शब्द जहां-कहीं ये आते हों के स्थान पर "80000 रुपये", "75500-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से) – 80000 रुपये", "वेतन बैंड-4: 37400-67000 रुपये जमा ग्रेड वेतन 12000 रुपये", "वेतन बैंड-4: 37400-67000 रुपये जमा ग्रेड वेतन 10000 रुपये", "वेतन बैंड-4: 37400-67000 रुपये; जमा ग्रेड वेतन 8900 क्रमश: अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।"

13. अनुसूची-II-ग में, :-

(क) महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के पद से सम्बन्धित कॉलम (4) के अंतर्गत क्रम संख्या-6 पर दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"80000 रुपये (नियत) ";

(ख) क्रम सं. 12 के बाद, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"12.क सशस्त्र सीमा बल – महानिदेशक – 80000 रुपये (नियत)";

(ग) 'केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता' से सम्बद्ध कॉलम (5) के अंतर्गत 1000 रुपये, 800 रुपये और 400 रुपये अक्षर और अंक जहां-कहीं आते हों, के स्थान पर "अधिकतम चार हजार रुपये प्रति मास के अध्यधीन मूल वेतन का दस प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) अनुसूची-II-ग के अंत में आने वाली टिप्पणी-I और टिप्पणी-2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'टिप्पणी:- इस नियम में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता सेवा के किसी सदस्य को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए दिया जाएगा ।'

14. अनुसूची-II के अंतर्गत "II.घ-सेवा के सदस्य द्वारा धारित केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले पद और तालिका" के स्थान पर निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"II.घ-सेवा के सदस्य द्वारा धारित केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले पद

तालिका

पद का नाम	वेतनमान	केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता
(1)	(2)	(3)
(1) भारत सरकार के सचिव/भारत सरकार के विशेष सचिव	80000/- रूपए (नियत)	---
(2) भारत सरकार के अपर सचिव	वेतन बैंड-4: 37400-67000 रूपए; और ग्रेड वेतन 12000 रूपए	---
(3) भारत सरकार के संयुक्त सचिव	वेतन बैंड-4: 37400-67000 रूपए; और ग्रेड वेतन 10000 रूपए	---
(4) भारत सरकार के निदेशक	चयन ग्रेड (वेतन बैंड-4: 37400-67000 रूपए; और ग्रेड वेतन 8,700/- रूपए)	अधिकतम चार हजार रूपए प्रति मास के अध्यधीन मूल वेतन का दस प्रतिशत
(5) भारत सरकार के उप सचिव	चयन ग्रेड: (वेतन बैंड-4: 37400-67000 रूपए; और ग्रेड वेतन	अधिकतम चार हजार रूपए प्रति मास के

	8,700/- रूपए) या कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड: वेतन बैंड-3: 15600-39100 रूपए; और ग्रेड वेतन 7600 रूपए	अध्यधीन मूल वेतन का दस प्रतिशत
(6) भारत सरकार के अवर सचिव	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड: वेतन बैंड-3: 15600-39100 रूपए; और ग्रेड वेतन 7600 रूपए या वरिष्ठ समय वेतनमान (ग्रेड: वेतन बैंड-3: 15600-39100 रूपए; और ग्रेड वेतन 6600 रूपए	अधिकतम चार हजार रूपए प्रति मास के अध्यधीन मूल वेतन का दस प्रतिशत

टिप्पणी 1 – इस नियम में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता, सेवा के किसी सदस्य को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रतिनियुति की अवधि के लिए दिया जाएगा" ।

[फा. सं. 14021/4/2008–अ.भा.से.(II)]

हरजोत कौर, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी : मूल नियम भारत के असाधारण राजपत्र में सा.का.नि.सं. 108(ई.), तारीख 21 फरवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

<u>व्याख्यात्मक ज्ञापन</u>

केन्द्रीय सरकार ने यथा अनुमोदित संशोधन के अनुसार भारत सरकार के दिनांक 29 अगस्त, 2008 के संकल्प सं. 1/1/2008-आईसी में यथा विहित अखिल भारतीय सेवाओं के वेतनमानों में संशोधन के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को दिनांक 1 जनवरी, 2006 से कार्यान्वित करने का निर्णय किया है । इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के मद्देनजर, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 को 1 जनवरी, 2006 से तद्नुसार संशोधित किया जा रहा है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से भारतीय पुलिस सेवा के किसी भी सदस्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा ।